

I/259121/2023

संख्या-पी-397/81-2-2022-800(392)/2022

प्रेषक,

नीता चौधरी,

उप सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 09 जनवरी 2023

विषय- जनपद फर्रुखाबाद के अन्तर्गत बीसलपुर-बेवर मार्ग (एन0एच0-730सी) पुराना एस0एच0-29ए के किमी0 स्टोन नम्बर 571.00 चैनेज 570.349 बांयी पटरी पर ग्राम मदनपुर खसरा संख्या-2629 तहसील सदर जिला फर्रुखाबाद में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 आगरा द्वारा प्रस्तावित नये पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.1690612 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 03 वृक्षों के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/पाईप लाईन/153250/2022) 155172

महोदय

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-2091/11-सी-एफपी/यूपी/अप्रोच/155172/2022 दिनांक 21.12.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त निम्न कमियां पायी गई :-

1. प्रस्ताव के पृष्ठ-17 पर रक्षित संयुक्त एल0ओ0आई0 प्रमाण पत्र में प्रस्तावित स्थल किमी0 स्टोन नं0-569 से 572 बरेली वेबर रोड एस0एच0-29 अंकित है, जबकि ऑनलाइन प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल किमी0 स्टोन 571 चैनेज 570.349 बीसलपुर बेवर रोड अंकित है। स्पष्ट किया जाय।
2. प्रस्ताव के पृष्ठ-32 व 33 पर रक्षित संरक्षित वन भूमि का गजट नोटिफिकेशन में प्रस्तावित स्थल चिन्हित नहीं किया गया है ?
3. प्रस्ताव के पृष्ठ-51 व 63 पर रक्षित प्रमाण पत्र में अंकित है कि प्रस्तावित स्थल पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं है। जबकि नोडल अधिकारी के पत्र एवं प्रस्ताव में 03 वृक्षों का पातन निहित है। स्पष्ट किया जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार सूचना/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

Signed by नीता चौधरी

Date: 04-01-2023 14:36:58

Reasons Approved